# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

### संकल्प

**संचिका सं0–15/परिवाद (रोहतास) 12–07/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....**

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डिहरी के पत्रांक–1280 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा श्री अभिषेक कुमार सिन्हा के परिवाद पत्र दिनांक–27.10.2023 में प्रतिवेदित शिकायतों से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में दाखिल खारिज वादसं0–576R27/2023–24 एवं 989R27/2023–24 में **श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अंचलअधिकारी, अकोढ़ीगोला, रोहतास** द्वारा दिनांक–14.12.2023 को आम–खास सूचना निर्गत किये जाने एवं आपत्ति दाखिल करने का तिथि–18.12.2023 निर्धारित रहने के बावजूद दिनांक–16.12.2023 को ही वाद को स्वीकृत करने एवं उक्त दोनों वादों में जमाबंदी संयुक्त होने का उल्लेख के बावजूद भी बिना सभी जमाबंदी रैयतों/वारिसानों को सूचना निर्गत किये, बँटवारा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किये एवं दखल कब्जा के बिन्दु पर बिना स्थल जाँच किये ही श्री सिंह द्वारा वाद को स्वीकृत किये जाने जैसे तथ्य सामने आने के उपरांत श्री सिंह के विरूद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1001 (15) दिनांक–27.05.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह का स्पष्टीकरण दिनांक–10.09.2024 विभाग को प्राप्त हुआ जो समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों, श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के परिशीलन एवं समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लेते हुए विभागीय संकल्प सं0–717(15) दिनांक–09.05.2025 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, रोहतास** को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डिहरी** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, रोहतास के पत्रांक–60, दिनांक–09.06.2026 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोप सं0–01 को पूर्णतः प्रमाणित एवं आरोप सं0–02 को आंशिक रूप से प्रमाणित अंकित किया गया है।

5. आरोपी पदाधिकारी से प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1237(15) दिनांक–13.08.2026 से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा अपना अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को समर्पित किया गया।

6. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में श्री सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के अवलोकनोपरान्त/समीक्षोपरान्त पाया गया कि दाखिल–खारिज वाद सं0–576/2023–24 एवं 989R27/2023–2024 में जमाबंदी संयुक्त होने के बावजूद भी बिना सभी जमाबंदी रैयत/वारिसानों को

सूचना निर्गत किये, वादों में बॅटवारा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किये एवं दखल कब्जा के बिन्दु पर बिना स्थलीय जाँच किये ही वाद सं0–576/2023–24 को स्वीकृत किया गया एवं 989R27/2023–2024 में दिनांक–14.12.2023 को निर्गत आम–खास सूचना में आपत्ति दाखिल करने की तिथि–18.12.2023 निर्धारित होने के बावजूद वाद को दिनांक–16.12.2023 को ही को स्वीकृत किया गया है एवं इसके लिए राजस्व कर्मचारी/राजस्व अधिकारी की अनुशंसा एवं मानवीय भूल को जबावदेह कारण के रूप में अंकित करते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य से विमुख होने का प्रयास किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अंतिम रूप में दाखिल–खारिज की स्वीकृति/अस्वीकृति अंचल अधिकारी के डोंगल के माध्यम से की जाती है, न कि राजस्व कर्मचारी/राजस्व अधिकारी के द्वारा, इसलिए इसके लिए अंचल अधिकारी पदीय रूप से जिम्मेवार होते हैं।

आरोपी पदाधिकारी ने केवल अधीनस्थ कर्मियों के प्रतिवेदन को आधार बनाया और स्वंय एक जिम्मेवार अर्द्ध–न्यायिक प्राधिकारी के रूप में विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। संयुक्त जमाबंदी के मामले में बिना हिस्सेदारों की सहमति या बिना स्थल जॉच के दाखिल–खारिज करना प्रक्रियात्मक विफलता है। यह सही है कि प्रारंभिक जॉच राजस्व कर्मचारी का दायित्व है, लेकिन अंचल अधिकारी पदेन रूप से अंतिम निर्णयकर्त्ता है। संयुक्त जमाबंदी की संवेदनशीलता को देखते हुए सह–हिस्सेदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए नोटिस और जांच सुनिश्चित करना उनकी अनिवार्य जिम्मेवारी थी, जिसका निर्वहन करने में आरोपी पदाधिकारी असफल रहे। समय से पूर्व आदेश पारित होने के कारण वास्तविक हकदार/आपत्तिकर्त्ता को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। इसका अभिप्राय यह है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व का समुचित निर्वहन् नहीं करते हुए अथवा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त कृत्य किया गया है। वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) स्वीकार योग्य नहीं है।

7. आरोपी पदाधिकारी का अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

8. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अकोढ़ीगोला, रोहतास **सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अरवल** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**
**ह0/–**
**(संजय कुमार सिंह)**
**सरकार के संयुक्त सचिव।**

ज्ञापांक–15/परिवाद (रोहतास) 12–07/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, रोहतास एवं अरवल/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रोहतास एवं अरवल/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/ श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/परिवाद (रोहतास) 12–07/2024–2060(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–04/11/26

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री सिंह** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

04/11/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।